कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला अशोकनगर म0प्र0

क्रमांक / 611 / खाद्य / 2020 अशोकनगर दिनांक 11 / 08 / 2020

:: आम सूचना ::

राज्य शासन के खाद्य नागरिक्र आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के पत्र कमांक 4012 भोपाल दिनांक 29.07.2020 के परिपालन में अनुपलब्ध हितग्राहियों (मृत, डुप्लीकट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहने वाले) को पूर्व से जारी पात्रता पर्चियों से पृथक किया जाना है। एम–राशन मित्र अभियान के तहत परिवारों के सत्यापन में उचित मूल्य दुकानवार हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया है जिसकी सूची सबंधित उ0मू0 दुकान एवं निकायवार नगर पालिका / ग्राम पंचायत पर चस्पा करायी गयी है। सूची में प्रदर्शित हितग्राहियों में यदि किसी परिवार को नाम हटाने की कार्यवाही पर आपत्ति है तो वह हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के लिये अपने सबंधित तहसीलदार एवं नगरीय क्षेत्र के लिये सबंधित अनुविभागीय अधिकारी को दिनांक 14.08.2020 तक अपना दाबा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त दावा / आपत्तियों का निराकरण दिनांक 17.08.2020 तक सबंधित अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार द्वारा नियमानुसार किया जावेगा। दावा / आपत्ति करने का प्रारूप सबंधित पंचायत सचिव एवं शा0उ0मू0 दुकान के विक्रेता पर उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त अवधि में यदि किसी हितग्राही द्वारा अपना दावा / आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त हितग्राहियों के परिवार / सदस्य के नाम पात्रता पर्ची से नियमानुसार विलोपित किये जावेगें।

कलेक्टर
जिला अशोकनगर म0प्र0

पृ.क्रमांक / 611 / खाद्य / 2020 अशोकनगर दिनांक 11 / 08 / 2020

प्रतिलिपि :-

1. जनसंपर्क अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी (समस्त) जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त) जनपद पंचायत जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. तहसीलदार (समस्त) जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. सबंधित सचिव (समस्त) ग्राम पंचायत, जिला–अशोकनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर
जिला अशोकनगर म0प्र0

Scanned with CamScanner